

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक— प्र06—रा0का0—01/2012

/खाद्य,पटना/दिनांक

प्रेषक,

जयशंकर प्रसाद यादव,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
सारण, वैशाली, बेगुसराय, मधुबनी, बांका,
शेखपुरा एवं कैमूर ।

विषय :— राशन कार्ड हेतु प्राप्त आवेदनों के निष्ठारण के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि 'बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम 2011' के तहत राशन कार्ड निर्गत करने हेतु प्राप्त आवेदनों का निष्ठारण 60 दिनों में किया जाना है । दिनांक 23.05.2011 के प्रतिवेदन (प्रति संलग्न) के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि निर्धारित अवधि के बीत जाने के उपरांत भी बड़ी संख्या में ऐसे आवेदन लंबित हैं जो 'बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम 2011' की अवधारणा के विरुद्ध हैं ।

अतएव इतनी बड़ी संख्या में ऐसे आवेदनों के निर्धारित अवधि बीत जाने के उपरांत भी लंबित रहने के संबंध में अद्यत्तन स्थिति की जानकारी विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय । **बस्तु**

विश्वासभाजन

ह0/—

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापक— प्र06—रा0का0—01/2012

3675

/खाद्य,पटना/दिनांक

11.6.2012

प्रतिलिपि — श्री अफजल अहमद आजम, आई.टी. मैनेजर को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव ।